

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(5)राज/वाद/2022 पार्ट-11

जयपुर दिनांक 01/04/26

:: आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2025-26 में की गई डी.पी.सी. अनुशंषाओं को रिव्यू किये जाने हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.03.2026 में की गई अभिशंषा के अनुसार गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 31.07.2025 में की गई अभिशंषा के क्रम में निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित वरिष्ठ सहायक को भी उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष के लिये कॉलम सं05 में अंकित रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर, स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे बेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती नेहा सिंघल	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
2.	श्री संजय विश्णोई	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
3.	श्री रमेश कुमार सहारण	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
4.	श्री खुशी राम	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
5.	श्री जितेन्द्र नागर	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
6.	श्री अनिल कुमार	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
7.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनारक्षित	2025-26 (01.04.2025 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति उक्त सूची में उनके नाम के सम्मुख*कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक से प्रभावी है। अतः कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक अथवा इसके पश्चात अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत/अवनत मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे।

यह आदेश जारी होने अथवा कार्मिक की पदोन्नति प्रभावी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषाधिकारी, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- संबंधित जिला कलक्टर,.....।
- संबंधित कोषाधिकारी,.....।
- संबंधित कार्यालय,.....।
- सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
- संबंधित कर्मचारी,.....।
- ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि